तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज लिछमणराम बनाम जयचन्दराम आदि मु.न. 83/2023 अन्तर्गत धारा 53,88,188 आरटीए निर्णय दिनांक 19.05.2026	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
19.05.2026	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्षकारान उपस्थित। बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 व धारा 151 सीपीसी पर सुनी गई। प्रार्थी/ वादी अधिवक्ता ने अपनी बहस करतें हुए कथन किया गया कि प्रार्थी द्वारा विरास्तन के खेत खसरा नम्बर 152 तादादी 2.0500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 265 तादादी 8.8300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 287 तादादी 4.7100 हैक्टेयर, 356 तादादी 2.6300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 420 तादादी 7.7900 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 421 तादादी 8.3700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 836 तादादी 2.1100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 266 तादादी 4.2600 हैक्टेयर रोही तोलियासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ के सम्बन्ध में अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया है जिसमें अप्रार्थी संख्या 3 पोकरराम का स्वर्गवास हो चुका है जिसकी जानकारी दिनांक 22.09.24 को हुई है। प्रतिवादी संख्या 3 पोकरराम पुत्र मघाराम के निम्न वारिसान है– 1. गुलाब पत्नि 2. दुर्गाराम पुत्र – फौत 3. रामचन्द्र पुत्र 4. जेठाराम पुत्र 5. पप्पूराम पुत्र 6. विमला पुत्री 7. साऊ पुत्री दुरगाराम के निम्न वारिसान है शान्ति प्रताप विवेक रिन्कू रेखा राजू राणी फुसी एवं प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 04 एवं धारा 151 सी.पी.सी. स्वीकार कर प्रतिवादी संख्या 3 के स्थान पर उनके जायज वारिसानो को पक्षकार बनाये जाने का निवेदन किया गया। अप्रार्थी/ प्रतिवादी अधिवक्ता ने प्रार्थी/वादी अधिवक्ता की बहस का खंडन करतें हुए कथन किया गया कि प्रतिवादी संख्या 3 पोकरराम का स्वर्गवास वादी द्वारा दावा पेश करने से पहले हो चुकी थी। वादी व प्रतिवादी संख्या 3 पोकरराम एक ही परिवार के सदस्य है व गांव तोलियासर तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर के निवासी है। इसलिये वादी को प्रतिवादी संख्या 3 पोकरराम का स्वर्गवास हो जाने की जानकारी शुरू से ही थी । फिर भी वादी ने अपने दावा में जानबुझकर प्रतिवादी संख्या 3 पोकरराम के वारिशांनो को पक्षकार संयोजित नही किया है । प्रतिवादीगण द्वारा वादी द्वारा प्रस्तुत आदेश 6 नियम 17 सी.पी.सी. के प्रार्थना–पत्र के जबाब प्रार्थना–पत्र में यह तथ्य अंकित किया कि प्रतिवादी संख्या 3 पोकरराम का स्वर्गवास हो चुका है व उसके वारिशान में उसके तीन पुत्र व पुत्रियां है, जिनमें से एक पुत्र का स्वर्गवास हो चुका है व उसकी पत्नी, पुत्र व पुत्रीयां भी है। जिसके बाद वादी ने उक्त प्रार्थना–पत्र न्यायालय श्रीमान् के संमक्ष पेश किया है। उक्त प्रार्थना–पत्र में वादी ने यह भी अंकित नही किया है कि प्रतिवादी संख्या 3 पोकरराम का स्वर्गवास कब किस दिनांक को हुआ । वादी द्वारा जो उक्त प्रार्थना–पत्र पेश किया गया है वह प्रतिवादी संख्या 3 पोकरराम के स्वर्गवास के काफी वर्षो बाद पेश किया गया हैं। इसलिये वादी का यह दावा अबैट हो चुका है। वादी ने अपने उक्त प्रार्थना–पत्र के साथ धारा 9 सी.पी.सी का अबैटमेन्ट निरस्त करवाने का कोई प्रार्थना–पत्र पेश नही किया है व ना ही धारा 5 मियाद अधिनियम के तहत कोई प्रार्थना–पत्र पेश किया है। इसलिये वादी का उक्त	

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

प्रार्थना–पत्र कानूनी त्रुटियों से ग्रसित होने के कारण चलने योग्य नही है, खारिज किये जाने योग्य है। एवं प्रार्थी/ वादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 व धारा 151 सीपीसी खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

हमने उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं उपलब्ध न्यायिक दृष्टान्त का अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण वादी द्वारा अन्तर्गत धारा 53,88,188 आरटीए के तहत पेश किया गया। चूंकि वाद में घोष्णात्मक अनुतोष चाहा गया। ऐसी स्थिति में दावा किसी एक पक्षकार की हद तक अबेट नहीं हो सकता। आदेश 22 नियम 4 के प्रावधानों के अनुसार वाद स्वतः अबेट हो चुका है। प्रार्थी/ वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रतिवादी/ अप्रार्थी संख्या 03 पोकरराम की मृत्यु दिनांक का कही भी अंकन नहीं किया गया है, केवल मात्र प्रतिवादी / अप्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना आदेश 06 नियम 17 में प्रस्तुत जवाब में प्रतिवादी संख्या 03 की मृत्यु की सूचना के आधार पर जानकारी होना अंकित किया जाकर उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। जबकि प्रतिवादी संख्या 3 की मृत्यु दावा दायरी से पूर्व ही हो चुकी है एवं वादी एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार कि सदस्य एवं गांव के निवासी है। यह अभिभावक लिया जाना न्यायसंगत नहीं है। आदेश 22 नियम 4 के प्रावधानों के अनुसार वाद स्वतः अबेट हो चुका है। कायम मुकाम बनाने हेतु निर्धारित अवधि 90 दिवस के अन्दर कायम मुकाम बनाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। 90 दिवस के बाद दावा स्वतः ही अबेट हो जाता है, 90 दिवस के पश्चात अबेटमेन्ट को निरस्त करवानें हेतु प्रार्थना पत्र 60 दिनो के अन्दर मियांद अधिनियम के तहत प्रस्तुत करना आवश्यक है। प्रार्थी / वादी द्वारा आदेश 22 नियम 4 के प्रार्थना पत्र के साथ अबेटमेन्ट निरस्त एवं देरी का कारण स्पष्ट करनें के लिए मियाद अधिनियम धारा 5 भी पेश नहीं किया गया है। कानूनी रूप से वादी का दावा पूर्णतया अबेट हो चुका है। लिहाजा प्रार्थी/ वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 व धारा 151 सीपीसी इसी स्तर पर खारिज किया जाकर वादी का वाद अबेटमेन्ट में खारिज किया जाता है। वादी नया वाद प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

(शुभम शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)